उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या- 3/2020/एस0ई0-4-824 /दस-2020-ई0एम0-46/05
लखनऊ : दिनांक : 28 अक्टूबर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नीचे तालिका में उल्लिखित अस्थायी पदों, जो स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय-ज्ञाप द्वारा वित्त सचिव शाखा के लिए सृजित किये गये थे तथा जिनकी निरन्तरता की स्वीकृति अंतिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2019-एस0ई0-4-416/दस-2019-ई0एम0-46/05, दिनांक 11 मार्च, 2019 द्वारा 01 मार्च, 2019 से दिनांक 29 फरवरी, 2020 तक प्रदान गई थी, का कार्यकाल दिनांक 01 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक, यदि इससे पूर्व ही इन्हें बिना सूचना के समाप्त न कर दिया जाये, बढ़ाये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड (रूपये में)	पद सृजन से संबंधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या व दिनांक
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	वरिष्ठ अनुसेवक	एक	5200-20200 (यथा संशोधित) लेवल-1	वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एस0ई0-830/दस-89-ई-667/89, दिनांक 17-04-1989
2	अनुसेवक	एक	5200-20200 (यथा संशोधित) लेवल-1	वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एस0ई0-4506/दस-861-एम-1(2)/78, दिनांक 26-07-1986
3	अनुसेवक	एक	5200-20200 (यथा संशोधित) लेवल-1	वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एस0ई0-2751/दस-टीसी-एफसी0-7/81, दिनांक 09-05-1986
-	-	कुल तीन पद	--	--

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो उन्हें अनुमन्य हों, देय होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

बाबू राम
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/2020/एस0ई0-4-824(1)/दस-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार(लेखा प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा) दो प्रतियॉ।
(5) सचिवालय प्रशासन अनुभाग-4 (अधि0)।
(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
(7) अधिष्ठान अधिकारी ।

आज्ञा से,

लालमणि यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।